

पत्र सं०: 507-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2018-48-मा०सं०प्र०-02/2001

दिनांक : 24 फरवरी, 2018

- फैक्स (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ।
- (2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय :- उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन नियम लि० के समस्त पूर्णकालिक अधिकारी/कर्मचारी, जो
दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने
दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है, को महंगाई भत्ते के
दिनांक 01.07.2016 एवं 01.01.2017 से बढ़ी दर पर भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ०प्र० शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं०: 5/2017/वे०आ०-1-467/दस-2017-8(एम)/2016, दिनांक 13.07.2017 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 1698-मा०सं०प्र०-(02)/उ०नि०लि०/2016-48-मा०सं०प्र०-02/2001, दिनांक 20.08.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के ऐसे समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारी/कर्मचारी, जो किन्हीं कारणोंवश दिनांक 01.01.1996 से प्रभावी वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं अथवा जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नहीं किया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित नहीं हुये हैं, को दिनांक 01.01.2016 तथा दिनांक 01.01.2017 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2016	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 256 प्रतिशत
01 जनवरी, 2017	मूल वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत

- 2- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत उत्पादन निगम के आदेश सं०: सचिव/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/1154, दिनांक 30 अगस्त, 2000 के प्रस्तर-2, 7 एवं 8 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।
- 3- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम-9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
- 4- इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

कमशः..... 2/-



:: 2 ::

- 5- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- 6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते के दिनांक 01 जुलाई, 2016 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-
- I- दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 31.07.2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय-आयकर एवं संरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01.08.2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31.01.2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01.08.2017 से (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर 2017 को देय) से नकद किया जायेगा।
- II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।
- III- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें उक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
- 7- निगम के आदेश सं० सचिव/उनिलि/सी०पी०एफ०ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० कन्ट्रिब्यूटी प्रोविडेंट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी०पी०एफ० खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी०पी०एफ० मद में दी जायेगी।
- 8- उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)
अनुसचिव(मा०सं०-०२)

कमश:3



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ-२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

फैक्स नं०. 0522-228664:

नं०. 0522-221821:

:: 3 ::

सं०: 507 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2018, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
3. महाप्रबन्धक(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक(पीपीएमएम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, टीसी-46/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 ।
5. मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्डएम०, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
6. मुख्य अभियन्ता(जानपद)/(जानपद नव-परियोजनाएं), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु ।
11. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-01/02/03/04/05/06/रिफार्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
12. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कौशल प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
13. समस्त उप सचिव/अधिसासी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी(मानव संसाधन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
15. कार्मिक अधिकारी(ओ०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
16. कट फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
अनुसचिव(मा०सं०-02)